बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल

बी०एम० दास रोड, पटना-800004

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं सभी पंजीकृत फार्मासिस्टों को सूचित किया जाता है कि फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 32(2) एवं 34(1,3) के अंतर्गत **फार्मासिस्ट निबंधन, निबंधन नवीनीकरण** एवं संबंधित अन्य कार्यों की प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु दिनांक 05.01.2026 से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली प्रारंभ की जा रही है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदक व्यक्तिगत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा काउंसिल कार्यालय आए बिना **निबंधन/नवीनीकरण** की रसीद प्राप्त कर सकेंगे।

विशेष सूचना (वर्ष 2025 में नवीनीकरण न कराने वालों हेतु):

जिन फार्मासिस्टों ने वर्ष 2025 में अपने निबंधन का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें काउंसिल कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत उनके निबंधन को ऑनलाइन नवीनीकरण हेतु सक्रिय (**Activate**) किया जाएगा।

विस्तृत दिशा-निर्देश काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट **www.biharstatepharmacycouncil.org** पर उपलब्ध हैं।

दैनिक जागरण, पेज **9**
दिनांक **02/01/2026**

रंजीत रंजन
निबंधक सह सचिव
बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल, पटना